५ रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

१० रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

11

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 अपील अपील-1604-II-14

लक्ष्मीबाई पत्नी महेन्द्र सिंह

निवासी–ग्राम सेमरी लोहावाद

तहसील शाढौरा जिला–अशोकनगर

विरूद्ध

1. कोमलबाई पत्नी नंदराम

ग्राम–कमालपुर तहसील–शाढौरा

2. सीताराम पुत्र भमर सिंह

निवासी ग्राम–कमालपुर

तहसील–शाढोरा जिला–अशोकनगर

3. म.प्र. शासन

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 659/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 24–03–2014 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा–44 (2) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करती है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि स्थित ग्राम कमलापुर का भूमि स्वामी सोमा बड्डा था। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व से ही निरन्तर सोमा बड्डा के नाम पर अंकित चली आ रहीं थी। उक्त भूमि कभी–भी शासकीय अभिलेखों में शासकीय होना दर्ज नहीं थी.

3. यह कि, भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पुत्री अनावेदक–1 कोमलबाई के नाम पर नामांतरित की गयी कोमलबाई ने दिनांक 15–06–1999 को अनावेदक क्रमांक–2 सीताराम को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि अंतरित कर दी गयी भूमि अंतरण के पश्चात सीताराम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गया उक्त नामांतरण को विक्रेता कोमलबाई अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गयी उक्त नामांतरण आदेश अंतिम हो चुका था.

4. यह कि, अनावेदक क्रमांक–2 द्वारा दिनांक 12–05–2008 को आवेदक के हित में भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है जिसकी जानकारी अनावेदक–1 को आरंभ से ही थी क्योंकि क्रय करने के दिनांक से आवेदक का भूमि पर वास्तविक आधिपत्य एवं राजस्व अभिलेखों में नाम प्रविष्ट होता चला आ रहा है.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1604–दो/14 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 659/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 24–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 कोमलबाई द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नं. 373/3 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा सीयताराम को गिरवी रखी थी । सीताराम द्वारा उससे गिरवीनामा के स्थान पर विकयपत्र सम्पादित कराया जाकर हस्ताक्षर करा लिए हैं और अब यह भूमि लक्ष्मीबाई को विकय करदी गई है अतः उसे उक्त भूमि वापिस दिलाये जाये । कलेक्टर ने तहसीलदार से जांच रिर्पोट आहूत कर प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर आवेदन स्वीकार कर विकयपत्र दिनांक 15–6–99 अमान्य किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक कमांक 1 कोमलबाई द्वारा दिनांक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

15–6–99 को अनावेदक कमांक 2 सीताराम को भूमि का अंतरण पंजीकृत विकयपत्र द्वारा किया गया था इसके 8 वर्ष से अधिक समय उपरांत अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदिका को भूमि का विकय किया गया है । इसकी जानकारी अनावेदक कमांक 1 को आरंभ से थी । विवादित भूमि शासकीय पट्टे की नहीं है इस कारण संहिता की धारा 165 के तहत अनुमति की आवश्यकता नहीं थी कलेक्टर द्वारा आवेदक को पक्षकार बनाए बिना अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा वर्ष 1999 में किए गए अनावेदक कमांक 2 के अंतरण के आधार पर हुए नामांतरण आदेश को कोई चुनौती नहीं थी इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । यह भी कहा गया कि विकयपत्र को शून्य घोषित करने का अधिकार कलेक्टर को नहीं है । आवेदिका की ओर से जो आधार अधीनस्थ न्यायालय में अपील में पेश किए गए थे उन पपर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरसत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विकय किये जाने से संबधित है । इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष ने यह पाया है कि इस आलोच्य भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है जिसका

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 1604–दो / 14 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अंतरण बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है और विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण कराया गया है जो विधिसम्मत नहीं है । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है । सदस्य	